फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – कोतवाली मोहम्मदाबाद

दिनांक - 27.03.2026

कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त को आलाकत्ल 01 फावडा सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर, श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर, श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली मोहम्मदाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 76/2026 धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त नितुल पुत्र स्व0 लालाराम निवासी ग्राम गैसिंगपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद फावडा बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01. नितुल पुत्र स्व0 लालाराम निवासी ग्राम गैसिंगपुर कोत0 मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ।

घटना का विवरण- दिनांक 23/24.03.2026 की रात्रि में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के पुत्र लाखन उम्र करीब 32 वर्ष की चेहरे व गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर निर्मम हत्या कर देना व वादी को शक है कि नितुल पुत्र स्व0 लालाराम निवासी ग्राम गैसिंगपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ द्वारा अज्ञात साथी के साथ मिलकर उसके पुत्र की हत्या की है । वादी श्री रामनिवास कश्यप पुत्र स्व0 सोनेलाल निवासी ग्राम गैसिगपुर कोत0 मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ की लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 76/2025 धारा 103(1) बीएनएस बनाम 01. नितुल पाल पुत्र लालाराम उपरोक्त 02. अज्ञात साथी पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में नितुल उपरोक्त का नाम स्पष्ट सिद्ध होने पर प्रकाश में लाया गया तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 फावडा बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरा मेरे गांव की ही रहने वाली एक विधवा महिला से प्रेम संबंध चल रहा था। मेरी उक्त महिला से लडाई हो जाने के बाद लखन से बात करने लग गयी थी , इस बात को लेकर मेरी और लखन की पूर्व में लडाई हो गई थी ,उस समय लखन उपरोक्त द्वारा मुझे मारने की धमकी दी थी। मैंने उसी दिन से लखन को मारने का प्लान बना लिया था। दिनांक 23/24.03.2026 की रात्रि में जब लखन अपने घर के बाहर तालाब किनारे चारपाई पर सो रहा था तभी मौका पाकर मैने वहां जाकर फावडे से लखन के गर्दन व चेहरे पर वार किया जिससे लखन बुरी तरह से घायल हो गया और थोडी ही देर में उसकी साँसे थम गई जब मुझे विश्वास हो गया कि लखन मर गया है तो मैं जल्दी-जल्दी में फावडे को वही पास में तालाब मे फेंक दिया लेकिन हडबडी में मेरी चप्पल और अंगोछा वहीं रह गया और मैं वहां से भाग गया। मेरे द्वारा अकेले ही यह घटना कारित की गई है। शेष सफाई अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय में देना बताया।

बरामदगी का विवरण-

01.घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक फावडा

अभियुक्त नितुल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

01.मु0अ0सं076/2026 धारा 103(1)बीएनएस कोत0 मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली पुलिस टीम-

01.निरी0 श्री विनोद कुमार शुक्ल

02.उ0नि0 श्री आशू कुमार

03.का0 ललित कुमार

04.का0 मस्तराम

05. का0 मनीष

गिरफ्तार करने वाली सर्विलांस पुलिस टीम-

01.उ0नि0 श्री सन्त कुमार प्रभारी सर्विलांस मय टीम

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – कादरीगेट

दिनांक – 27.03.2026

एसओजी/सर्विलांस व थाना कादरीगेट पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों को लूटे गये कुण्डल, अवैध तमंचा व कारतूस के साथ पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चंदर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 71/2026 धारा 309(4)/317(2)/318(4)/336(2)व 109(1) बीएनएस (पु0मु0) व 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्तगण को मुखबिर की सूचना पर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01.दीपक उर्फ बाबा पुत्र अवधेश यादव निवासी अर्रापहाडपुर थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

02. सौरभ यादव पुत्र शेरसिंह यादव निवासी अर्रापहाडपुर थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण- वादी श्री बालकृष्ण पाठक पुत्र श्री रामऋषि पाठक निवासी अमेठी कोहना पांचालघाट थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ द्वारा प्रा0पत्र दिया कि मेरी पत्नी मठिया देवी मन्दिर से ई- रिक्शा द्वारा वापस घर आते समय खानपुर पंचायत घर के पास दो अज्ञात सफेद रंग की स्कूटी सवार लोगो ने झपट्टा मारकर कानो के कुंडल छीन भाग गये है। जिसके आधार पर मु0अ0सं0 71/26 धारा 304 बीएनएस पंजीकृत किया गया था। विवेचना के आधार पर सीसीटीवी कैमरों (त्रिनेत्र ऑपरेशन) के सहयोग से अभियोग में 01.दीपक उर्फ बाबा 02. सौरभ यादव उपरोक्त के नाम प्रकाश में आये । मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त सौरभ उपरोक्त को उसके अंकित पते अर्राहपहाडपुर थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ से गिरफ्तार किया गया तथा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त दीपक उर्फ बाबा उपरोक्त को मय घटना में प्रयुक्त स्कूटी के लकूला ईट भट्टे के पास थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त दीपक उर्फ बाबा उपरोक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया गया । पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त दीपक उर्फ बाबा उपरोक्त के बाएं पैर में गोली लगने से घायल हो गया। घायल अभियुक्त को तत्काल प्राथमिक उपचार हेतु डॉ0 राममनोहर लोहिया अस्पताल फर्रूखाबाद भेजा गया । तलाशी के दौरान अभियुक्त दीपक उर्फ बाबा के कब्जे से लूटा हुआ आधा कुंडल बरामद हुआ । बाद पूछताछ अभियुक्त सौरभ उपरोक्त की निशादेही पर वाकी बचा आधा कुंडल अर्राहपहाडपुर के कब्रिस्तान से बरामद कर लूटे गये माल की शतप्रतिशत बरामदगी की गयी ।

पूछताछ का विवरण - अभियुक्तो ने पूछताछ पर अपने जुर्म इकबाल करते हुए बताया कि हमने खानपुर पंचायत घर के पास ई-रिक्शा में जा रही महिला के साथ छीना-झपटी कर कुंडल लूट लिया था। हमसे गलती हो गयी, माफ कर दीजिए।

बरामदगी का विवरण-

01. 01 तमंचा 315 बोर
02. 02 जिंदा कारतूस 315 बोर
03. 02 खोखा कारतूस 315 बोर
04. 01 कुण्डल (पीली धातु) दो टुकडों में

अभियुक्त दीपक उर्फ बाबा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

01. मु0अ0सं0 71/26 धारा 309(4)/317(2)/318(4)/336(2) व 109(1) बीएनएस (पु0मु0) व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ ।

अभियुक्त सौरभ यादव उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

01. मु0अ0सं0 71/26 धारा 309(4)/317(2)/318(4)/336(2) व 109(1) बीएनएस (पु0मु0) व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ ।
02. मु0अ0सं0 249/21 धारा 279/304ए भादवि थाना मऊदरवाजा जनपद फर्रुखाबाद

गिरफ्तार करने वाली थाना कादरीगेट पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री कपिल कुमार
2. उ0नि0 श्री विशेष कुमार
3. उ0नि0 श्री मोहित मिश्रा
4. का0 लवी चौधरी
5. का0 पंकज कुमार
6. का0 अजीत सोलंकी

गिरफ्तार करने वाली एसओजी पुलिस टीम-

01.उ0नि0 श्री सचिन सिंह चौधरी प्रभारी एसओजी मय टीम

गिरफ्तार करने वाली सर्विलांस पुलिस टीम-

01.उ0नि0 श्री सन्त कुमार प्रभारी सर्विलांस मय टीम

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – कोतवाली कायमगंज

दिनांक :- 27.03.2026

मु0अ0सं0 348/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित गैंग सदस्य सुखवीर सिंह पुत्र कश्मीर सिंह नि0 ग्राम रुटौल थाना कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी स्वयं के नाम अवैध चल सम्पत्ति 02 अदद ट्रक सं0 UP76K8536, व ट्रक सं0 UP76K7776 कीमत करीब 12,12529.00/- ("बारह लाख , बारह हजार पाँच सौ उनतीश रुपये") को थाना कायमगंज पुलिस द्वारा जब्त किया गया।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक श्री अरूण कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री राजेश कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली कायमगंज पर मु0अ0सं0 348/2025 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 बनाम गैंग लीडर 1. जुबैर खान पुत्र लड्डन खान निवासी मो0 गढी इज्जत खां कस्बा व थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़, गैंग सदस्य 2.रामनरेश पुत्र रामचन्द्र निवासी गुड़ मण्डी कस्बा व थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़ मूल निवासी मो0 छपट्टी थाना ठठिया जनपद कन्नौज, 3.सुखवीर पुत्र कश्मीर सिंह निवासी ग्राम रुटौल थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़ , 4.पुष्पेन्द्र पुत्र रनवीर सिंह निवासी कैल्था थाना अलीगंज जनपद एटा, 5.आदेश पुत्र श्रीकृष्ण निवासी पपडी खुर्द बुजुर्ग थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़, 6.मोबिन पुत्र रहमत खान निवासी मो0 दुन्दी गढ़ी पितौरा थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़, 7.तारिक उर्फ तालिब पुत्र शाहिद खां निवासी चौक मऊरशीदाबाद थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़, 8.पवन मिश्रा पुत्र रामनरेश निवासी ललई थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़ के पंजीकृत किया गया था। जिसमें श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद के आदेश/वाद संख्या 04/26 दिनांकित 24.02.2026 के अनुपालन में गैंग सदस्य अभियुक्त सुखवीर उपरोक्त द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गयी चल संपत्ति 02 अदद ट्रक UP76K8536, UP76K7776 को गैंगस्टर की धारा 14(1) के अन्तर्गत कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा जब्त किया गया।

अभियुक्त/गैंग सदस्य सुखवीर उपरोक्त की जब्त की गई अवैध चल सम्पत्ति- 12,12529.00/-

अभियोग उपरोक्त में जब्तीकरण की कार्यवाही के अन्तर्गत अभियुक्त/गैग सदस्य सुखवीर पुत्र कश्मीर सिंह निवासी ग्राम रुटौल थाना कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद द्वारा अपने नाम अवैध रूप से अर्जित की गयी चल सम्पत्ति कीमत 02 ट्रक कीमत करीब 12,12529.00/-रू0 को आज दिनांक 27.03.2026 को थाना कायमगंज पुलिस द्वारा जब्त किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

जब्ती की कार्यवाही में लगा पुलिस बल-

01.प्रभारी निरीक्षक श्री मदन मोहन चतुर्वेदी
02.उ0नि0 बलवीर सिंह
03.का0 विनीत कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।

शक्ति
सशक्त नारी
समृद्ध प्रदेश
फतेहगढ़ पुलिस
नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए समर्पित
मिशन शक्ति-5.0

शन शक्ति फेज 5.0
द्वितीय चरण
OR EMPOWERMENT
पुलिस लाइन्स
जनपद फतेहगढ़
14567
शक्ति
द्वितीय चरण
RUN FOR EMPOWERMENT
पुलिस लाइन्स
जनपद फतेहगढ़
1076
14567

द्वितीय चरण
RUN FOR EMPOWERMENT
पुलिस लाइन्स
जनपद फतेहगढ़
1076
14567
द्वितीय चरण
RUN FOR EMPOWERMENT
पुलिस लाइन्स
जनपद फतेहगढ़
1076
14567